

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

दिनांक— 20/3/2024

विषय— श्री बलीराम सिंह द्वारा सीवान जिलान्तर्गत यादिलपुर मौजा के खाता संख्या-81, खेसरा संख्या-467, अंचल-रघुनाथपुर में मांझी-दरौली-गुठनी पथ के किनारे HPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.01425 हे. वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग— आपका पत्रांक 137, दिनांक 28.02.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि विषयान्तर्गत प्रस्ताव पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्रांक FP/BR/Others/50115/2020/169, दिनांक 22.03.2022 द्वारा दो भागों में (A में 1-7 शर्त एवं B में 1-9 शर्त) सैद्धांतिक स्वीकृति दी गयी है। उक्त का अनुपालन प्रतिवेदन निम्नवत् समर्पित कर रहा हूँ—

भाग—A: Conditions which need to be complied prior to handing over of forest land by the Stae Forest Department.

1. हरितावरण को बनाये रखने हेतु 100 वृक्षों के रोपण की 10 वर्षीय प्राक्कलन की राशि रु. 8,74,538.00 को मेरे द्वारा बिहार राज्य के लिये निर्धारित, BIHAR CAMPA A/c No. 1506219950115708, Union Bank of India, Bengaluru में फंड ट्रांसफर कर दिनांक 15.03.2024 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No.- PUNBR52024031515739934 है, जो Ministry website पर प्रदर्शित है। (मूलप्रति संलग्न)।
2. NPV के मद में मेरे द्वारा 0.01425 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये रु० 9,57,780/- प्रति हे० की दर से कुल रु० 13,648/- को बिहार राज्य के लिये निर्धारित, BIHAR CAMPA A/c No. 1506219950115708, Union Bank of India, Bengaluru में फंड ट्रांसफर कर दिनांक 15.03.2024 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No.- PUNBR52024031515739934 है, जो Ministry website पर प्रदर्शित है। (मूलप्रति संलग्न)।
3. मेरे द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण एवं NPV की राशि को e-challan के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर Union Bank of India, Bengaluru के खाता में दिनांक 15.03.2024 को जमा करा दी गयी है तथा उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है।
4. जिला पदाधिकारी, सीवान द्वारा निर्गत FRA-2006 प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
5. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
6. मेरे द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।
6. मेरे द्वारा सभी शर्तों का Compliance report, Ministry ds Website- <http://parivesh.nic.in> पर अपलोड कर दिया गया है।

Bali Ram Singh

48

भाग-B: Conditions which need to be strictly complied on field after handing over of forest land to the Usr Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Stage – II approval:

1. अपयोजित होने वाली वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करूंगा।
2. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
3. मेरे द्वारा वचनबद्धता दी गयी है कि प्रस्तावित वन भूमि के लिये अगर NPV की राशि में किसी प्रकार की वृद्धि या संशोधन होता है तो, उसका भुगतान करेंगे।
4. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- a. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- b. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- c. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- d. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
5. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
6. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
7. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
8. (a) इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- (b) इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- (c) इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
9. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

इस प्रकार मेरे द्वारा सभी शर्तों का अनुपालन कर दिया गया है। अतः अनुरोध है कि मेरे द्वारा समर्पित परियोजना पर अन्तिम स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की जाय।

अनु०-यथोक्त

विश्वासभाजन

Bali Ram Singh

(बलीराम सिंह)

पिता-स्व. राम पुकार सिंह,

ग्राम+पोस्ट-कचनार, जिला-सीवान,

पिन-841210

पंजाब पंजाब national bank



(42)

एक काम स्वयंसेवा की ओर

प्लॉट NO. 4, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075 H.O. : Plot NO. 4, Sector-10, Dwarka, New Delhi-110075

शा. का. / B.O. : Gambhir

दिनांक / Date : 15/03/2024

नकद/चैक/भुगतान आदेश/बचत निधि/ओडी/सीसी के
नाम से आरटीजीएस/एनईएफटी/
ड्राफ्ट के अनुरोध के साथ प्राप्त हुए।

Received Cash / Cheque / Pay Order / request to debit /

SF/CA/OD/CC with ₹ 8,88,186.

(Rupees in words) Eight lakh eighty-

eight Thousand one hundred eighty
six only
towards RTGS/NEFT/Draft

पक्ष में / Fvg. : Bihar Camp

बैंक Union Bank

खाता संख्या

खाता संख्या / Account No. : 150621995011-

आईएफएस कोड / IFS Code : UBIN0996335

प्राप्ति की तारीख / Date of Receipt : 15/03/24

प्राप्ति का समय / Time of Receipt :

PUNBOR52024031515739934

पैन/पुनबी/PNB-01 (R) 3181951030035 (100 Lvs) Anand



समाहरणालय, सिवान
(जिला सामान्य शाखा)

कार्यालय जिला पदाधिकारी, सिवान के तहत ऐश्विक परियोजना निर्माण हेतु FRA 2006 का प्रमाण-पत्र
(भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28.10.2014 को निर्गत दिशा
निर्देश के तहत)

प्रमाण-पत्र सं० 199 / सा०शा०, दिनांक 13.2.21

अधलाधिकारी, रघुनाथपुर के पत्रांक 38 दिनांक 17.02.2021 के आलोक में प्रमाणित किया जाता है कि सिवान जिला में प्रयोक्ता एजेसी हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा ऐश्विक परियोजना माझी-दरीली-गुठनी पथ पर अवस्थित सुरक्षित वन भूमि-0.01425 हे० रकबा के अपयोजन (Diversion) हेतु प्रयोक्ता एजेसी के आवेदन पर वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गोपालगंज के पत्रांक 1858 दिनांक 24.12.2020 द्वारा वनाधिकार अधिनियम, 2006 (FRA, 2006) प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु अनुशंसा समर्पित किया गया है।

तदआलोक में प्रस्ताव के जाँचोपरान्त प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित ऐश्विक परियोजना के लिए अपयोजित होने वाली भूमि पर अवस्थित वृक्षारोपण दिनांक 13.12.2005 के पूर्व 75 वर्ष से कम अवधि में वन भूमि के रूप में अधिसूचित किया गया है। परियोजना के माझी-दरीली एवं आस-पास वर्ष 2001 एवं 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जन जाति की आबादी नहीं है एवं डिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) के खुलने से अनुसूचित जन जाति की आबादी प्रभावित नहीं होगी।

जिला पदाधिकारी,
सिवान।

Certified that forest land proposed to be diverted is a plantation which was notified as forest less than 75-years prior to the 13th day of December 2005 and is located in villages having no recorded population of Scheduled Tribes, as per the Census-2001 and the census-2011

Place:-
Date:-



District Magistrate
and Office seal